पत्र संख्या-बी0/स्था0(संविदा)-24-01/08/................../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
सरकार के अवर सचिव, बिहार ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक ....

विषय :- प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सूचना-सह-जन शिकायत कोषांग, विधि विभाग, बिहार, पटना के लिए प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के एक पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाना है। एतद्संबंधी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न है।

अनुरोध है कि इसे बिहार के अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन
ह0/-सुरेन्द्र कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार

ज्ञाप सं0-...6320...**/जे0,** **पटना, दिनांक** ...04/9/14...

प्रतिलिपि:-प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सहित आई0टी0 प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र कुमार 4/9/14
(सुरेन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव, बिहार

E:\Anil Singh\B-Stha(Mantri).Doc

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

।। सूचना ।।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-ज0शि0को0(मु0स0)-07/2007-556 दिनांक 19.12.2008 द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विधि विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सूचना-सह-जन शिकायत कोषांग के लिए प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के एक पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक से निम्नलिखित शर्त्तों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1. प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा। आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष अवधि विस्तार किया जायेगा। अवधि विस्तार के लिए सेवा का संतोषजनक पाया जाना वांछनीय होगा।

2. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवा माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इसप्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

3. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसे स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

4. चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा।

5. चयन समिति आवश्यकतानुसार कॉउन्सलिंग कर अपनी अनुशंसा देगी।

6. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

8. अनुबंध के आधार पर नियोजित प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को प्रतिमाह पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-977 दिनांक 05.07.2011 द्वारा निर्धारित रु0 10,000/-(मात्र दस हजार) रूपये देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

9. सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के सेवानिवृत्त इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं पूर्व धारित पदों का विवरण, विवरण सहित आवेदन पत्र स्वयं अथवा निबंधित डाक से दिनांक 22.09.2014 के पूर्वाह्न तक ***<u>अवर सचिव (स्थापना), विधि विभाग, बिहार, पटना</u>*** के पते पर जमा कर सकते है।

नोट:-उक्त प्रेस विज्ञप्ति विभागीय बेबसाइट www.Law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

सुरेन्द्र कुमार 5/9/14

(सुरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव (स्थापना)

विधि विभाग, बिहार, पटना।

E:\GOPAL\Ramnath Sir\Suchna.Doc